कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उन्नाव

पत्रांक सं0:— 2377 / अधिसूचना / स0सु0 / उन्नाव / 2020 दिनांकः— 24.09.2020

अधिसूचना

चूँकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या—59, 1988) की धारा—112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य राज्य सरकार द्वार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों / विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से सन्तुष्ट होने पर प्रतिबन्धित किया जा सकता है।

और जहाँ उक्त अधिनियम की धारा—112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उ0प्र0 सरकार द्वारा उ0प्र0 मोटरयान नियमावली—1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), उन्नाव को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों के उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या— 1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या—59, 1988) की धारा—112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम—178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये **आगरा लखनऊ एक्सप्रेस—वे** के उन्नाव जनपद में पड़ने वाले भाग के लिये श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्धारित की जाती है:—

क्रम सं0	मोटरयान का वर्ग	आगरा—लखनऊ एक्सप्रेस—वे पर निर्धारित की गयी अधिकतम गति सीमा
1	ऐसे मोटरयान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त आठ सीटों से अनाधिक यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है। (एम 1 प्रवर्ग यान)	100 (कि0मी0 प्रति धण्टा)
2	ऐसे मोटरयान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त नौ या अधिक सीटों के यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है। (एम 1 प्रवर्ग यान)	60 (कि0मी0 प्रति धण्टा)
3	ऐसे मोटरयान, जिनका उपयोग माल के वहन के लिए किया जाता है।	60 (कि0मी0 प्रति धण्टा)
4	मोटर साईकिल	60 (कि0मी0 प्रति धण्टा)

(अनिल कुमार त्रिपाठी)
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी /
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), उन्नाव।

पत्रांक सं0:— 2377 / अधिसूचना / स0सु0 / उन्नाव / 2020, समदिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषितः—

1. परिवहन आयुक्त, उ0प्र, लखनऊ।
2. अपर परिवहन आयुक्त, (सड़क सुरक्षा), उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) यातायाात निदेशालय, उ0प्र0।
4. जिलाधिकारी, उन्नाव।
5. पुलिस अधीक्षक, उन्नाव।
6. निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग लखनऊ, को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड / निर्माण खण्ड—1 / निर्माण खण्ड—3, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव।
8. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी / पश्चिमी), लखनऊ, उ0प्र0।

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी /
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), उन्नाव।